न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 231/2019
GCMS NO. : 2019/00280

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
01.रामनिवास पुत्र स्व. नन्दाराम 02.विशनाराम पुत्र स्व. नन्दाराम 03.राजुड़ी बेवा स्व. नन्दाराम जाति– कुम्हार निवासी– कुड़की तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज०।		1. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.09.12.2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता वादी।
2. सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 22/02/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की सरहद मौजा बगतावरपुरा मानपुरा, पटवार हल्का कुड़की में कृषि भूमि ख.न. 949 रकबा 18–05 बिघा किस्म बोरानी अव्वल आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा आता इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में वादी संख्या 01 का नाम रामकंवार पि0 नन्दा ना. बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा 1/4 कौम कुम्हार इन्द्राज है जो गलत नाम हो गया है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में वादीगण सं. 01 व 02 के पिता एवं वादिया सं. 03 के पति नन्दाराम के फौत होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 748 दिनांक 26.03.1987 में वादी संख्या 01 का बचपन का नाम रामकरण/रामकंवर लिख दिया गया है। उक्त नाम वादी संख्या 01 का गलत इन्द्राज कर दिया है। वक्त नामान्तरणकरण वादीगण संख्या 01 नाबालिग था तथा वादी संख्या 02 अपनी मां के पेट में था। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा खातेदार नन्दाराम के विधिक वारिसानों की जांच किए बिना ही उक्त नाम रामकंवर लिख दिया है। जबकि वादीगण का वास्तविक व राजकीय दस्तावेजों मे रामनिवास अंकित है। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिवार [illegible] पत्र, आधार कार्ड व अंक तालिका में वादी संख्या 01 [illegible] पुत्र श्री नन्दाराम अंकित है इस प्रकार भारत सरकार द्वारा [illegible] तथा परिवार कार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि [illegible] वादी संख्या 0[illegible] नाम रामनिवास अंकित है। प्रमाणित फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार कार्ड, निर्वाचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

पहचान पत्र, ग्राम पंचायत कुड़की का प्रमाण पत्र इत्यादि वादपत्र के साथ पेश है। वादीगण के पिता नन्दाराम के फौत होने के बाद वादीगण का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत हुआ जो गलत हो गया है। अब उक्त राजस्व रेकर्ड में नन्दाराम के जायन्दा पुत्रगण क्रमशः रामनिवास, विशनारामत पि. नन्दाराम व राजुड़ी बेवा नन्दाराम दर्ज किया जावें। वादी संख्या 02 विशनाराम का नाम भी दर्ज किया जावे तथा वादी संख्या 1 का नाम रामकंवर कर दिया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पटवारी हल्का द्वारा नन्दाराम के विधिक वारिसान की जाँच किए बिना ही राजस्व रेकर्ड मे वादी संख्या 01 का नाम रामकंवर गलत इन्द्राज कर दिया। इस प्रकार वादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने तथा वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से तथा वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में नाम गलत इन्द्राज में दर्ज नहीं होने से वादीगण अनुदान योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे है तथा वादीगण को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीगण का पूर्व में जो नामान्तरणकरण संख्या 748 दिनांक 26.03.1987 का गलत भरा गया है। जो वादीगण का राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज नहीं होता है तो वादीगण को अपने जायज साम्पेतिक हक हकुको व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा तथा वादीगण को असीम हानि होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए वादीगण का राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज कराने की घोषणा का आदेश फरमावें। वादीगण अपने खातेदारी के संबंध में सरकार द्वारा अनुदान राशि वितरण की योजना से लाभान्वित होने के लिए पटवार हल्का के पास गए तो राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 01 का नाम रामकंवर इन्द्राज हाने से उक्त योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो सका तथा बैंक से ऋण नहीं हो सका तब पटवारी हल्का द्वारा वादी संख्या 01 को अपना सही नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने व वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकड में दर्ज करवाने हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही करने की बात कही तब वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 25.10.2019 को प्राप्त की तब प्रथम बार वादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का गलत इन्द्राज होने व वादी संख्या 02 का नाम दर्ज नहीं होने का पता चला। तब वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब जैतारण के समक्ष उसी दिनांक 25.10.2019 को अपने नाम का राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने बाबत् पेश किया। जिस पर तहसीलदार जैतारण ने संशोधन करने व वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने बाबत् पेश किया। जिस पर तहसीलदार जैतारण ने संशोधन करने व वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा श्रीमान के न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की बात कही इसलिए श्रीमान के समक्ष वादीगण द्वारा यह घोषणा का वाद पत्र पेश किया है। बिलम्ब वाद दिनांक 25.10.2019 का वादीगण को सर्व प्रथम अपने नाम की गलत एण्ट्री की जानकारी व वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने बाबत् राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर तथा संशोधन बाबत् श्रीमान तहसीलदार जैतारण के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा उक्त संशोधन करने से स्पष्ट मना करने पर बमुकाम कुड़की तहसील जैतारण में वाद कारण पैदा हुआ है। जो श्रीमान क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर म्याद वाद पत्र पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय फर्द मौका पेश किया, जो सा.मि. है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम कुमार का नाम बचपन की बोलचाल की भाषा के कारण रामंकवर पुत्र नन्दाराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र नन्दाराम ही है। अतः राजस्व वाद 231/2019 में वादी का नाम रामनिवास शुद्ध किया जाना उचित है। बहस अधिवक्ता वादीगण व सरकार पैरोकार राज की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की सरहद मौजा बगतावरपुरा मानपुरा, पटवार हल्का कुड़की में कृषि भूमि खसरा नम्बर 949 रकबा 18-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहे है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में वादी संख्या 01 का नाम रामकंवार पि0 नन्दा ना.बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा 1/4 कौम कुम्हार इन्द्राज है, जो गलत इन्द्राज हो गया है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में वादीगण सं. 01 व 02 के पिता एवं वादिया सं. 03 के पिता नन्दाराम के फौत होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 748 दिनांक 26.03.1987 में वादी संख्या 01 के बचपन का नाम रामकरण/रामकंवर दर्ज कर दिया साथ ही वक्त नामान्तरणकरण वादीगण संख्या 01 ना. बालिग था वादी संख्या 02 अपनी मां के पेट में था लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा खातेदार नन्दाराम के विधिक वारिसानों की जांच किए बिना ही वादी संख्या एक को ही नन्दाराम का एक मात्र विधिक वारिसान मानते हुये [illegible] वादी संख्या 01 के नाम ही नामान्तरकरण में स्वीकृत किया जो कि विधि विरुद्ध एवं गलत है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में वादी संख्या 01 रामनिवास का त्रुटिपूर्ण नाम रामकंवर के स्थान पर वादी संख्या 01 का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रामनिवास करने तथा वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण जिला ब्यावर

949 रकबा 18–05 बीघा में नन्दाराम के विधिक वारिसान के रूप में वादीगण संख्या 2 व 3 का नाम भी दर्ज किये जाने का अनुतोष मांगा है जिसके वादीगण रोन्ग एन्ट्री, रेकर्ड दुरूस्त एवं खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम का नाम बचपन की बोलचाल की भाषा के कारण रामकंवर पुत्र नन्दाराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र नन्दाराम ही है। अतः राजस्व वाद 231/2019 में वादी का नाम रामनिवास शुद्ध किया जाना उचित है।

3. वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम जाति कुम्हार निवासी कुड़की तहसील जैतारण द्वारा शपथ पत्र पी.डब्ल्यु. 1 व गवाह विशनाराम पुत्र स्व. नन्दाराम जाति–कुम्हार निवासी– कुड़की तहसील जैतारण द्वारा शपथ पत्र क्रमशः पी.डब्ल्यु. 2 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन किया है तथा शपथ पत्र पर कथन किया है कि उक्त आराजी में वक्त फौतेदगी नामान्तरण में राजस्व अधिकारीयों द्वारा वादी संख्या 01 का नाम रामकंवर पुत्र नन्दाराम दर्ज कर दिया जो कि एक रोंग एन्ट्री है तथा वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र नन्दाराम है तथा वक्त फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय सहवन से विशनाराम पुत्र नन्दा तथा राजुड़ी बेवा नन्दा का नाम वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज होना शेष रह गया जिन्हे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4. वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में प्रदर्श–1 ग्राम कुड़की पटवार हल्का कुड़की की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खसरा संख्या 949 में रामकंवर पुत्र नन्दा ना.बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा हिस्सा 1/4 कौम कुमार सा. देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श– 2 ग्राम बगतावरपुरा मानपुरा के नामान्तरणकरण पंजिका संख्या 748 दिनांक 26.03.1987 के कॉलम संख्या 14 में ''फौतेदगी नन्दा पुत्र चन्द्रा के जायन्दा पुत्र रामकंवार पि0 नन्दा ना.बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा 1/4 कौम कुम्हार का अंकन है। प्रदर्श–3ए वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम का आधार कार्ड, प्रदर्श–4ए वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम का भारत निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श–5ए वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम का ड्राईविंग लाईसेंस, प्रदर्श–6ए वादी रामनिवास पुत्र नन्दाराम की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका, प्रदर्श–7ए रामनिवास की बी.ए. तृतीय वर्ष की अंकतालिका, प्रदर्श– 8ए रामनिवास के राशन कार्ड की प्रति, प्रदर्श–9 व प्रदर्श–10

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

रामनिवास के नाम का घरेलु विद्युत बिल इत्यादि दस्तावेजात् में वादी का नाम रामनिवास पुत्र नन्दाराम अंकित है। वादी विशनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–11ए स्वयं का आधार कार्ड, प्रदर्श–12ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श–13ए ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रदर्श–17 विशनाराम पुत्र नन्दा के नाम का घरेलू विद्युत बिल इत्यादि दस्तावेजात् में विशनाराम पुत्र नन्दाराम नाम का अंकन है। वादीगण संख्या 3 राजुड़ी बेवा नन्दाराम द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–14ए परिवार राशनकार्ड जिसमें राजुड़ी पत्नी नन्दा तथा पुत्र के रूप में विशनाराम का अंकन है। प्रदर्श–15ए वादीगण संख्या 3 राजुड़ी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र व प्रदर्श–16ए आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेज राजुड़ी पत्नी नन्दाराम का अंकन है। जिनसे से यह स्पष्ट होता है कि वादी संख्या एक वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र नन्दाराम है तथा वादीगण संख्या 02 व 03 भी नन्दाराम पुत्र चन्दा के विधिक वारिसान है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र से यह स्पष्ट होता है कि सरहद मौजा बगतावरपुरा मानपुरा, पटवार हल्का कुड़की की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 949 रकबा 18–05 बीघा के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज रामकंवार पि0 नन्दा ना.बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा 1/4 कौम कुम्हार की प्रविष्टि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है क्योंकि वादी संख्या 01 का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र नन्दाराम है तथा नन्दाराम के फौत होने के पश्चात् भरे गये नामान्तरकरण संख्या 748 दिनांक 26.03.1987 में सिर्फ वादी संख्या 01 को ही एकमात्र विधिक वारिसान मानते हुए स्वीकृत किया था जबकि वादी संख्या 02 विशनाराम पुत्र नन्दाराम तथा वादी संख्या 03 राजुड़ी पत्नी नन्दाराम भी नन्दाराम के विधिक वारिसान है लेकिन सहवन से वादीगण संख्या 02 व 03 का नाम जरिये नामान्तरकरण के वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है। वादी संख्या 01 का भू–अभिलेख में नाम जरिये फौतदेगी नामान्तरण के दर्ज हुआ है, जिसमें पूरी सम्भावना है कि वारिसान में से किसी का घरेलु प्रचलित या आधा अधुरा नाम भू–अभिलेख में दर्ज हो जाता है और किसी का नाम सहवन से दर्ज होने से रह जाता है तथा प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वादीगण संख्या 02 व 03 को नन्दाराम को विधिक वारिसान मानते हुये दोनों का नाम वादग्रस्त आराजी खसरा 949 के भू अभिलेख में नन्दाराम के वारिसान के रूप में नाम दर्ज करते हुए नन्दाराम पुत्र चन्दा के हक हिस्से तक वादीगण संख्या 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं ...
सहायक कलक्टर ...

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगतावरपुरा मानपुरा, पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण जिला ब्यावर में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 949 रकबा 18–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"रामकंवार पि0 नन्दा ना.बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा हि. 1/4 कौम कुम्हार"*** को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर ***"रामनिवास पुत्र नन्दाराम" "विशनाराम पुत्र नन्दाराम" तथा "राजुड़ी बेवा नन्दाराम"*** दर्ज करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से के अर्थात् प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला– ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 22/02/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला– ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अजलास अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

पेशीजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. रामनिवास पुत्र स्व. नन्दाराम
2. विशनाराम पुत्र स्व. नन्दाराम
3. राजुड़ी बेवा स्व. नन्दाराम जाति– कुम्हार निवासी– कुड़की तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज०।

1. तहसीलदार जैतारण जिला– ब्यावर(राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा०स०:– 231/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री महेन्द प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगतावरपुरा मानपुरा, पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण जिला ब्यावर में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 949 रकबा 18–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"रामकंवार पि0 नन्दा ना.बा. की वली राजुड़ी बेवा नन्दा हि. 1/4 कौम कुम्हार"*** को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर ***"रामनिवास पुत्र नन्दाराम" "विशनाराम पुत्र नन्दाराम" तथा "राजुड़ी बेवा नन्दाराम"*** दर्ज करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से के अर्थात् प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल ...... तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22/02/2024 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला– ब्यावर)

द्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः	05	00	मिजानः–	–Nil–	

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

ुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
हनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
ीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
ाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजान	05	00	मिजानः-	-Nil-	

ोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए देलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested